

निरीक्षण महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क
'डी' ब्लॉक, आई.पी.भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002
दूरभाष संख्या: 011-23378923, 23378999, 23370663

सीमा शुल्क ब्रोकर्स परीक्षा के लिए नोटिस

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 65/2013-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 21.06.2013 के तहत प्रकाशित सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियमावली 2013, (सी.बी.एल.आर.2013) के अधीन सीमा शुल्क ब्रोकर के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से लाइसेंस जारी करने हेतु लिखित परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विनियमावली की प्रति www.cbec.gov.in अथवा <http://dgicce.nic.in> पर उपलब्ध है।

1. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि: 14.11.2014
2. लिखित परीक्षा की तिथि: 28.01.2015
3. आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें: सी.बी.एल.आर. 2013 आदि की विनियमावली 5 व 6 देखें
4. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम: सी.बी.एल.आर. 2013 आदि की विनियमावली 6 व 7 देखें
5. आवेदन पत्र का प्रपत्र: सी.बी.एल.आर. 2013 आदि की विनियमावली 5 के अनुरूप नागरिकता, शैक्षिक योग्यता तथा वित्तीय अपेक्षाओं संबंधी अनुप्रमाणित दस्तावेज एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित (सामने की ओर) दो पासपोर्ट आकार की फोटो सहित फॉर्म-ए (अधिसूचना में उपलब्ध)
6. आवेदन कहाँ जमा करवाएं: जिस क्षेत्र में आवेदक अपना कार्य करना चाहता है, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय में आवेदन जमा करवाएं। (सी.बी.एल.आर. 2013 आदि की विनियमावली 4) <http://dgicce.nic.in> की वेबसाइट पर जहां आवेदन जमा करवाया जा सकता है की सूची संदर्भ-हेतु सितम्बर, 2014 तक उपलब्ध होगी। यदि किसी छोटे सीमा शुल्क स्टेशन (अधिसूचित पोर्ट/एयरपोर्ट/भू सीमा शुल्क स्टेशन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि) को असावधानी वश सीमा शुल्क आयुक्त के क्षेत्राधिकारी के अधीन नहीं दिखाया गया है तो किसी भी अन्य सीमा शुल्क आयुक्त को आवेदन किया जा सकता है। सी.बी.एल.आर. 2013 आदि की विनियमावली 7 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त आवेदक अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्य करने का पात्र है।
7. अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। आवंटित अनुक्रमिक एवं परीक्षा स्थल/समय संबंधित सूचनाएं जहां आवेदन जमा किए गए हैं उस संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दिनांक 10.12.2014 तक स्पीड पोस्ट अवगत करवा दिया जाएगा। आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
8. जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। लाइसेंस जारी किए जाने हेतु अभ्यर्थी को लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा।
9. अभ्यर्थी को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प होगा। लिखित परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं होगा, चाहे उस दिन की छुट्टी ही क्यों न घोषित हो जाए।
10. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणाएं गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा अथवा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
11. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निकटतम सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय अथवा इस महानिदेशालय से संपर्क किया जा सकता है या वेबसाइट से सहायता ली जा सकती है।

(मनीष सकसेना)
अपर निदेशक
011-23370663
9810940286

(के.जे.चौधरी)
अपर महानिदेशक
011-23378250 कार्यालय

Directorate General of Inspection, Customs and Central Excise
Block-D, I.P. Bhawan, I.P. Estate, New Delhi - 110002
Phone no. 011-2337 8923, 2337 8999, 2337 0663

NOTICE FOR CUSTOMS BROKERS EXAMINATION

Applications are invited to appear in the written examination for issuance of license to act as a Customs Broker under Customs Brokers Licensing Regulations, 2013 (CBLR, 2013) published by the CBEC vide Notification No. 65/2013-Customs (N.T.) dated 21.06.2013. A copy of the regulations is available at www.cbec.gov.in or <http://dgicce.nic.in>.

1. **Last Date of receipt of application form:** 14.11.2014
2. **Date of Written Examination:** 28.01.2015
3. **Conditions to be fulfilled by the applicants:-** See regulation 5 & 6 of CBLR, 2013 etc.
4. **Syllabus of written exam:** See regulation 6(7) of CBLR, 2013 etc.
5. **Application to be submitted in format:** Form-A (available in the notification) along with two passport size photos attested by a Gazetted officer (on the front side) & attested documents on citizenship, educational qualification & financial requirements as per regulation 5 CBLR, 2013 etc.
6. **Where to submit the application:** Commissioner of Customs having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business. [Regulation 4 of CBLR,2013]. A ready list of where application may be submitted will be available on site <http://dgicce.nic.in> by September,2014.
If inadvertently any small Customs station (Notified Port/ Airport/ Land Customs Station/ Inland Container Depot/ Container Freight Station etc) is not shown under the jurisdiction of a Commissioner of Customs, the application may be made to any other Commissioner of Customs. An applicant who is granted license is eligible to work at other Customs station as per regulation 7 of CBLR, 2013 etc.
7. Incomplete applications shall be summarily rejected. By 10.12.2014 information regarding allotted roll numbers & exam venue/ time shall by speed post be communicated by the concerned Commissioner of Customs where application is submitted. Decision of the Commissioner shall be final.
8. The candidates who successfully pass written examination shall be called for an oral exam. A candidate needs to pass both written & Oral examination to qualify for issuance of license.
9. The candidates have the option to answer either in English or in Hindi. The date of written exam shall not change even if it is declared a holiday.
10. In case declarations made by the applicant are found to be incorrect, the application is liable to be rejected or license is liable to be cancelled.
11. For any query, please contact the nearest Office of the Commissioner of Customs or this Directorate General or visit the website.

(Manish Saxena)
Additional Director
011-23370663(Office)
9810940286(Mobile)

(K J Chaudhry)
Additional Director General
011-2337 8250 (Office)